The global wheat stocks were down to 107 million MT in 2007 compared with over 197 million MT in 2001; rice stocks were just 71 million MT compared with 136 million MT. All this means that the future supply of both wheat and rice is becoming more uncertain. That means prices are likely to keep going up.

India stands at a tipping point, especially, as foodgrain production is stagnating. Wheat output was 72.8 million MT in 2002. This year, it is estimated at about 90 million MT. Meanwhile, population has increased to 113 crore. So, there will be a need for imports. This, in turn, will fuel the global prices. Grain economist Mike Woolverton of Kansas State University said that as soon as India bought 7,95,000 MT of wheat at a record price of $389.45 in 8/2007, wheat futures in Europe rose by 70 per cent on expectations of more orders.

A country which has 70 per cent people living below Rs. 20/- a day, will not have the puchasing capacity of wheat at these exorbitant prices. Hence, the country needs to produce more wheat by increasing irrigation, particularly, in States like Jharkhand, Orissa and Assam that have ideal wheat-producing climate. I would urge the Government to undertake special measures in these States to increase wheat production.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2008. Mr. Kyndiah.

GOVERNMENT BILLS

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI P.R. KYNDIAH): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Order, 1950, to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Arunachal Pradesh.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P.R. KYNDIAH: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2008

MR. DUPUTY CHAIRMAN: Now, the Sugar Development Fund (Amendmen Bill, 2008.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Mr. Deputy Chairman, Sir, I wish to inform the House that the sugar season, 2006-07, had unprecedented surplus production of sugarcane, which resulted an all-time high production of about 283 lakh tons of sugar against an estimated domestic consumption of about 190 lakh tons.

The surplus production of over 90 lakh tons in 2006-07, coupled with an unviable international market where sugar prices were quite low because of an international surplus of about 110 lakh tons and an expected surplus production of cane and sugar in 2007-08 sugar season in India and abroad resulted in depressed sugar prices to the tune of Rs. 450 to 600 per quintal in the country. The sugar factories incurred substantial losses and were unable to pay cane dues resulting in accretion of cane price arrears of farmers.

The cane price arrears in June 2007 were Rs. 4,964 crore. Under the circumstances, the Central Government had to intervene to dispose of the large surplus of sugar. The Government announced; (a) financial incentives for exports of sugar, and (b) creation of buffer stock of 50 lakh tons and announcement of buffer subsidy for maintenance of the same, with the objective to stabilize prices and improve liquidity position of the factories, so that the arrears of farmers could be cleared.

However, since the sugar surplus was so high and international market still unviable, the cane price arrears of cane farmers continued to be alarmingly high, despite the steps taken by the Government. There was, therefore, urgent need to further assist the factories with more liquidity support so that the cane dues of farmers could be further cleared.

Decision was accordingly taken by the Government to give loans from banks to the factories against notional excise duty on total production of sugar in 2006-07 and likely production in 2007-08 sugar seasons, with the condition that the loan would be used to pay the cane arrears/dues of farmers. Interest rates of 12% per annum made the loans unattractive and considering that the scheme would be a non-starter, the Government decided to provide full interest subvention on the loans. Without the assurance from the Government regarding the interest subvention and payments of the same within the financial year, the banks seemed reluctant to extent the loans to avoid the liability from appearing in their balance sheet for 2007-08.

Considering the importance of the scheme and its implications for the cane farmers, the Government decided to provide the amount on account interest subvention to the extent of 5% per annum from the budget, and allowed payment of the balance of interest subvention up to 7% per annum from the SDF.

Due to heavy losses incurred by the sugar industry during 2006-07 sugar season, the factories did not have adequate working capital/funds to start their factories in time for the 2007-08 season. The delay resulted in diversion of cane to *gur/khandsari* manufacturers, where the farmers got less price for their cane, or, in delayed harvesting, which resulted in delayed sowing of wheat crop. The Parliament was not in session and the farmers were agitating for their dues, and the factories needed funds quite badly, sometimes to even start crushing of cane.

Therefore, Mr. Deputy Chairman, Sir, enabling legislative amendments to defray interest subvention and augment the SDF corpus right from financial year, 2007-08, were accomplished through the Ordinance. The Government decided to promulgate the Ordinance without further delay so that the loans get released without actually waiting for the Parliament to meet and pass the necessary legislative amendments.

With the steps taken by the Government by way of buffer subsidy, export assisstance and now the loans from banks including interest subvention, the sugar mills have been able to clear a substantial amount of the cane arrears of the farmers. As per latest figures received from the States in 2008, the arrears, excluding current year's dues is about Rs. 1090 crores. I wish to submit that the Ordinance was promulgated by the President of India on 5th February, 2008. Banks have already sanctioned about Rs. 2482 crore to them, and another Rs. 464 crore of loan proposal is in the pipeline for sanction. Payments have already been made to the farmers for the arrears against the sugar season of 2006-07 as also for the cane supplied in the 2007-08 season.

Had the Government not promulgated the Ordinance, about two crucial months would have passed with further accumulation of the cane dues of the farmers. Some sugar factories would not have got started or would have started later, resulting in loss of cane crop remaining unharvested and loss of time to farmers to sow another crop.

Sir, in the end, I emphasise that the Ordinance has been promulgated in public interest with the sole objective of clearing cane price arrears of farmers, mostly small and marginal, and also ensure timely payments against cane supplies in 2007-08 sugar season.

Sir, the Bill under consideration seeks to amend the Sugar Development Fund Act and the Sugar Cess Act and repeal the Ordinance promulgated in this regard.

The question was proposed.

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने ''चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008'' यहां प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो विकास निधि है, इसका उपयोग गन्ना मिलों को व्यवस्थित करने के लिए और साथ ही साथ किसानों को ठीक से भुगतान हो जाए, इस दृष्टि से बनाया गया है। विकास निधि के अंदर जो चीजें दी गई हैं, जो चीनी विकास निधि के उपयोग के बिन्दु हैं, उसमें कहा गया है कि किसी भी चीनी फैक्टरी के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देना, गन्ने के विकास के लिए उस क्षेत्र, जहां कोई भी चीनी फैक्टरी स्थापित है, की किसी स्कीम को आरंभ करने के लिए ऋण देना, चीनी उद्योग के किसी पहलू के संवर्द्धन और विकास के उद्देश्य से किसी अनुसंधान परियोजना के प्रयोजन के लिए अनुदान देना, चीनी की निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की अदायगी करना, खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, किसी चीनी फैक्टरी जिसकी स्थापित क्षमता ढाई हजार टन पेराई प्रतिदिन है, को ऋण देना, अलकोहल अथवा शीरे से अनहाइड्रस अलकोहल अथवा एथीनल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्टरी को ऋण देना, चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से चीनी का बफर स्टॉक तैयार करने और उसे बनाए रखने के प्रयोजन हेतु खर्च की अदायगी करना, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खर्चे की अदायगी करना। इसमें ये इतने सारे बिन्दु दिए हुए हैं, जो चीनी मिलों को ढंग से संचालित किया जा सके और चीनी मिल के द्वारा किसानों को गन्ने के भुगतान व्यवस्थित ढंग से किया जा सके, इस दृष्टि से इतना सारा दिया गया है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ऐसे प्रदेश से आते हैं, जहां हिंदुस्तान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर का जो उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है।

श्री शरद पवार: अभी इस समय आप एक नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश अब एक नंबर पर है।

श्री कलराज मिश्र: जी, अब तक महाराष्ट्र लगातार रहा, इस समय उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं, इतने बिन्दु विकास निधि के अंतर्गत हैं। मान्यवर, पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, उसमें जो उत्तर आया है, उसके अनुसार जहां पैराई नहीं हो पाई, जहां चीनी मिल चल नहीं सकीं, वर्ष 2005-06 के अंदर ऐसी लगभग 131 चीनी मिलें रही हैं। इस समय उनमें और बढ़ोत्तरी ही हुई होगी और जब इतनी चीनी मिलें रही हैं, 131 चीनी मिलें उस समय रही हैं, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 16 या 17 चीनी मिलें ऐसी हैं, जो बिल्कुल चल ही नहीं रही हैं, बीमार हैं, इससे ज्यादा बीमार हैं और उत्तर प्रदेश में तो 61 चीनी मिलों को बेचने की भी योजना बनाई जा रही है। जो चीनी मिलें चल भी रही हैं, उनका आधुनिकीकरण न होने के कारण, जो पिराई क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है और इसका परिणाम यह है कि मिल मालिक, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाता है। विकास निधि के अंतर्गत यह दिया हुआ है कि इस प्रकार की स्थिति जहां बन रही हैं, उन सारी स्थितियों को व्यवस्थित करने की दृष्टि से निश्चित रूप से इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो इतनी चीनी मिलें नहीं चलीं, इतनी चीनी मिलें रुग्ण हैं या बहुत सारी चीनी मिलें, अपनी क्षमता के अनुरूप पिराई नहीं कर पा रही हैं, तो उसके कौन से कारण हैं? अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इस विकास निधि का उपयोग होता है या नहीं होता है? केवल इतना ही नहीं, इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी भी विभिन्न प्रदेशों के जो बकाया हैं, वे काफी मात्रा में हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि 650 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है और उत्तर प्रदेश का किसान बड़ा त्रस्त है। इस समय उसकी हालत यह हो गई है कि गन्ना बोने में भी वह हिचक रहा है और गन्ने को खेतों में जलाने की स्थिति का निर्माण हो रहा है। हालत यह है कि जो सुनिश्चित किए हुए गन्ने के मूल्य हैं, गन्ना किसान को वे मूल्य भी नहीं दिए जा रहे हैं और वह कम मूल्य पर गन्ने को देने के लिए बाध्य हो रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब गन्ना किसान यह महसूस करने लगा है कि आगे चलकर उसकी हालत कैसी होगी।

उपसभापति जी, इस विकास निधि के बारे में इस प्रकार की बातें कही गईं कि यह इस दृष्टि से दी गई है ताकि इसका समुचित तौर पर गन्ना किसानों को भुगतान हो जाए। इसके अंदर जो इतने बकाए रहे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं दिया गया है? अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो बफर सब्सिडी है, वह इसीलिए बनाई गई ताकि मिल से चीनी लेकर, गन्ना किसानों का सही भुगतान हो सके। NDA के ज़माने में 20 लाख टन बफर सब्सिडी रखी गई थी, मैं समझता हूं कि अभी 50 लाख टन की बात कही गई है, लेकिन यह कहने के बावजूद भी यह भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें एक बात तो यह है कि जो विकास निधि होगी, इसका जो उपकर होगा, वह 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए किया जा रहा है और जो 12 फीसदी का इंट्रस्ट होगा, उसमें से 5 फीसदी इंट्रस्ट सरकार देगी और 7 फीसदी इंट्रस्ट विकास निधि देगी। एक तरह से देखा जाए, तो जो मिल-मालिक हैं, उसको इंट्रस्ट फ्री लोन मिल रहा है, ब्याज़मुक्त कर्ज़ा मिल रहा है, लेकिन जो गन्ना किसान हैं, उसको खेती के लिए 7 फीसदी के ब्याज़ पर कर्ज़ दिया जाता है, यह बड़ी अजीब प्रकार की विषमता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यह विचार भी करना चाहिए कि जिस तरीके से चीनी विकास निधि बनी है, उसी तरीके से गन्ना उत्पादक विकास निधि का भी निर्माण होना चाहिए और गन्ना उत्पादक विकास निधि बनाकर, गन्ना किसानों को उस तरीके से राहत प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वे कम ब्याज़ पर या ब्याज़मुक्त ऋण पर गन्ने का उत्पादन कर सकें। यदि इस दृष्टि से व्यवस्था की जाए, तो मैं समझता हूं कि यह माना जाएगा कि सही सोच के आधार पर चीजें चली हैं। जैसा अभी कहा गया है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित होता है। अब गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के कई मानक दिए गए हैं और उन मानकों के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन अगर यह मानक अपनाया जाए कि गन्ने के खेत के अंदर, जैसे मानक के अंदर उन्होंने विभिन्न फसलों का भी एक उपयोग किया है कि विभिन्न फसल होगी, उसके आधार पर भी गन्ना किसानों के लिए एक बिंदु होगा। यह मूल्य निर्धारित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे अभी विकास निधि के अंतर्गत आया है कि ethanol बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ों को भी alcohol बनाने के लिए दिया जा सकता है, जो गन्ना मिल है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, उसका अलग मूल्य होता है, तो उन सारी चीज़ों के मूल्य को भी इसमें समायोजित करते हुए गन्ना किसानों का दाम अगर निर्धारित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि गन्ना किसान को काफी सुविधा प्रदान हो सकती है। स्वामीनाथन कमेटी ने यह कहा है कि 1800 रुपया गन्ना प्रति टन किसान को प्रदान करना चाहिए। इस संबंध में भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि निर्यात की दृष्टि से भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अब निर्यात की दृष्टि से सुविधा प्रदान करने के लिए इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इधर की तरफ निर्यात के

लिए चाहे शिपमेंट के द्वारा हो, उधर की तरफ से अगर करना हो, तो महाराष्ट्र के लिए तो बहुत सुविधा है, वहां तत्काल निर्यात हो जाता है और उसमें उनको तत्काल अच्छा-खासा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कैसे होगा? उनके परिवहन के लिए, उनके माल-भाड़े के लिए, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और यह सुविधा अगर प्रदान की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि गन्ना किसान इसका समुचित तौर से लाभ उठाने में सक्षम हो सकेगा। इसके लिए एक तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी गन्ना उत्पादक है, वह गन्ना उत्पादक जितना भी गन्ना पैदा करता है, और जो भी क्षेत्र सुनिश्चित किया जाता है, मिल एरिया के अंदर सुनिश्चित किया जाता है, उसमें कोई भी गन्ना बिना पिराई के न रह सके - यह सुनिश्चित करना पड़ेगा और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र आता है, उस मिल को भी, अगर वह किसी प्रकार की ढिलाई करता है, तो उसको भी दंडित करने की व्यवस्था करनी चाहिए या किस तरीके से गन्ना किसानों का समुचित तरीके से मुआवज़ा दिया जा सकता है, उनकी हानि की भरपाई भी की जा सकती है, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। इस समय हालत ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जगह-जगह किसान अब महसूस करने लगा है कि अब हमारा गन्ना ऐसे ही खड़ा रहा जाएगा, हमारे बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, कई मिलें ऐसी हैं, जो बड़ी खराब स्थिति में हैं। देवरिया, भट्नी, रामपुरा, खेतान, लक्ष्मीगंज, सठिया, असरा, औराई में मिलें बंद पड़ी हुई हैं और वहां का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। अपना गन्ना कहां ले जाएगा, इसके लिए परेशानी पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट मिलें हैं - पलौना है, खलीलाबाद है, ये भी बंद पड़ी हुई हैं, इनकी हालत भी बड़ी खराब है। जो सरकार के द्वारा भी चालित मिलें हैं, वे भी ढंग से पिराई नहीं कर पा रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान इतना त्राहि-त्राहि कर रहा है कि उसको लगने लगा है कि आखिर गन्ना बोकर हम क्या करेंगे? अपनी आजीविका हम कैसे चलाएंगे? गन्ना ज्यादातर इन्हीं इलाकों में उत्पादित होता है और गन्ना जब उत्पादित होता है तो उसका मूल, किसानों के जीवनयापन का केंद्रबिंदु है, वह गन्ना उत्पादन है और उनके साथ जब इस प्रकार का व्यवहार होता है कि पिराई नहीं हो पाती है, गन्ने का समुचित दाम नहीं मिल पाता है, तो उनकी हालत बड़ी खराब होती है। घटतौनी के कारण वह त्रस्त होता है, रिश्वतखोरी के कारण वह त्रस्त होता है, अनेक प्रकार की परेशानियां उसको भुगतनी पड़ती हैं। भुगतान के लिए यह भी प्रावधान किया गया था कि चौदह दिन के अंदर अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता है और चौदह दिन के बाद भुगतान किया जाता है, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन भुगतान तो होता नहीं। इंटरस्ट देने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यह एक बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। चाहे सरकारी मिलें हों, चाहे सरकार द्वारा चालित मिलें हों, चाहे निजी क्षेत्र में चलने वाली मिलें हों - इन सभी मिलों के द्वारा जिस प्रकार के हालात पैदा किए गए हैं, उन हालात के कारण किसान बहुत दुर्दशाग्रस्त स्थिति का अनुभव कर रहा है। गन्ना विकास निधि विधेयक आज माननीय मंत्री जी ले आए हैं, उसमें उपकर को आगे बढ़ाने का इन्होंने फैसला किया है। मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप किसानों में यह विश्वास पैदा करें कि आगे चलकर, किसान आज जो परेशानी का अनुभव कर रहा है, वैसी परेशानी उसे नहीं होने दी जाएगी और गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जो समय पर भुगतान नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी, यह मैं जरूर चाहूंगा। ...(समय की घंटी)... महोदय, जितनी भी चीनी मिलें लगायी जाएं, वे एक integrated units की तरह हैं, जिसमें चीनी उत्पादन के अलावा ethanol का उत्पादन हो। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन के बारे में आप स्वयं ने भी कहा था, ऊर्जा का उत्पादन हो जिससे चीनी उद्योग मुसीबत की स्थिति में अपने को संभाल सके। महोदय, ethanol की इस वक्त देश में बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि 2008 से सरकारी एलान द्वारा सभी ऑयल कम्पनियां अपने ईंधन में दस प्रतिशत ethanol मिला सकेंगी, यह बात आयी है। इसको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी मिलों में ethanol बनाने में लाया जा सकता है जिससे इनकी और किसानों की स्थिति मज़बूत हो तथा देश में कच्चे तेल के आयात में भी कमी आएगी क्योंकि यह देखने में आया है कि ethanol प्राप्त करने के लिए कई ऑयल कम्पनियां विदेशी चीनी मिलों से करार कर रही हैं जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ethanol मिल सके। मैं समझता हूं कि अगर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने का प्रयत्न किया जाए तो निश्चत रूप से एक प्रभावी स्थिति का निर्माण हम कर सकते हैं और गन्ना किसानों के अंदर विश्वास का सृजन कर सकते हैं। यह जो विकास निधि आप लाए हैं, वह इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके, यह बात कहते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

1.00 P.M.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I support the Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2008.

Sir, this Bill has proposed two main things. One proposal is to help the industry which is languishing with a heavy burden of loan. Also they could not pay back to the agriculturists. For them, the Government has taken steps to give about 5 per cent of that interest through the Budget provision and also 7 per cent through The Sugar Development Fund. Sir, it is very important to develop the sugar industry because it has at stake the lives of three different sections of people. One is the consumers. The other is producers of sugarcane who are dependent totally on that income. The third is producers through the industrial process. This particular Bill is adding one other provision to help the industry. The earlier part of the Amendment Act 30 of 2002 provides in Clause 2(i)(aa) for making loans to any sugar factory or any unit thereof for bagasse-based co-generation power projects with a view to improving their viability and in Clause 2(i)(aaa) for making loans to any sugar factor or any unit thereof for production of anhydrous alcohol, or, ethanol from alcohol with a view to improving their viability; and, in clause 2(i)(bbb), for defraying expenditure on internal transport and freight charges to the sugar factories on export shipments of sugar with a view to promoting its export. Of the three aspects, two are about bringing a new product out of sugar. Therefore, this product also helps the industry to tide over its financial situation. The third part relates to giving export incentives to them. Clause 4(b), which is now proposed as an amendment, is helping them to tide over the situation on the payment of interest. Therefore, all the aspects are in favour of the production unit, that is, the industry. At the same time, consumer is now taxed more. For purchasing one quintal of sugar, they were paying Rs. 15. Now, there is a an increase of Rs. 10 per quintal. Therefore, they have to pay Rs. 10 more per quintal or 25 paise per kilo. It is a burden upon the consumer. There is worry for agriculturists also. Agriculturists are not, at all, helped because for helping them we are helping the industry by providing them interest-free loan. Without interest, we are giving loan according to this proposition. It is a welcome one. We appreciate it. At the same time, what about the position of the agriculturists who are totally depending upon this? They are not getting any subsidy; they are not getting any other help and they are not getting interest-free loan. Sir, a huge number of people are depending upon sugarcane growing. They are not helped by way of giving interest-free loan. That should also be the attitude of the Department to help agriculturists. When you are helping the industry, it is helpful for the nation. When you are helping agriculturists, you are helping the citizens of the country and you are developing people because they are suffering a lot. The proposal of this particular Bill itself to give relief to agriculturists is laudable because they could not get the payment properly from the industry and there are arrears. Therefore, the industries are allowed to borrow the money from banks and pay back to the agriculturists so that they can be benefited. We fully appreciate it. But, at the same time, we have to protect the interests of agriculturists and this proposal of enhancement by way of levy is also to be looked after because already people are overburdened by price rise. Sugar is in the market. There is a competition for sugar. Many of the imported sugars are competing in the market. So, agriculturists ought to be protected.

With these words, I would like to suggest another matter. There are already ten Acts in the name of sugar. They are Sugar (Regulation and Production) Act, 1961, Sugar (Special Excise duty), Act, 1959, it is a repealing Act, Sugar Cess Act, 1982, Sugar Development Fund Act, 1982, Sugar Export Promotion Act, 1958, Sugar Undertakings (Taking over of Management) Act, 1978, Sugarcane Act, 1934, Sugarcane Control (Additional Powers) repeal Act, 2000. Besides two repealing Acts, eight Acts are there and every Act is having 6 to 22 Sections.

What I am requesting, Sir, is that we should have a comprehensive law in regard to sugar. We can have all these eight Acts put together in one Act so that people can understand in which way agriculturists are going to be helped and in which way industries are going to be helped and how consumers are going to be benefited. All these three aspects should be put in one compendium and it can be made as a compiled Act which can help people to understand what is the thought of the country and also the Parliament.

With these words, I support this Bill. But I would like to ask the hon. Minister as to which extent the Fund is to be utilised for the purpose of making power generation, alcohol generation and production, and also in which way increasing the export of sugar is useful for them.

Sir, finally, I would like to make observations on my district. This district is also covered in the sugar growing area. These funds are given to industries, but industries are not passing over them to agriculturists. They are suffering a lot, especially the cooperative sector is suffering a lot. That should have more focussed area for giving help and this type of financial subsidy. Thank you.

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 को अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, कृषि मंत्री जी किसानों के नेता हैं और किसानों के दर्द को जानते हैं, मगर ये जो चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक लाए हैं, यह किसानों के लिए केवल इतनी राहत हो सकती है...। जितनी कैंसर के रोगी को नशे की एक टेबलेट दे दो, इससे ज्यादा और कोई राहत मिलने वाली नहीं है। किसान की स्थिति बहुत खराब है और गन्ना किसान की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं गन्ना किसान भी हूं। इसलिए मुझे किसान का दर्द और गन्ना किसान का दर्द मालूम है। हिन्दुस्तान में इस समय जो स्थिति गन्ना किसान की है, अगर इसमें सुधार नहीं लाया गया तो जिस तरह से हमको बाहर से गेहूं मंगाना पड़ता है, उसी तरह चीनी भी जो आज हम निर्यात कर रहे हैं, वह भी थोड़े दिनों में हमको आयात करनी पड़ेगी। मान्यवर, किसान का दर्द यह है कि जब उसके खेत में गन्ना खड़ा होता है और बिकने के लिए तैयार होता है तो वह गन्ना देखने के लिए चार बार अपने खेत पर जाता है और वहां यह विचार करता है कि जब हम अपनी गन्ने की फसल फैक्ट्री को देंगे और इसका पैसा आएगा तब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे या अपना छप्पर बना लेंगे। जब वह फैक्ट्री में अपना गन्ना डाल आता है तो उसके हाथ में भुगतान के स्थान पर केवल पर्ची होती है। उसके बाद अगर वह बीमार हो जाए या अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ खरीदने जा रहा हो, तो न तो डाक्टर ही उस पर्ची पर कुछ दे देगा और न ही कोई शादी का सामान ही उस पर्ची से मिल पाएगा। तो वह मजबूर होकर फैक्ट्री की तरफ देखता रहता है और इस तरह फैक्ट्री से किसान का भुगतान सालों-साल नहीं होता है। पिछली बार तो उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हो गई कि किसानों का फैक्ट्री पर तीन-तीन साल का बकाया था। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तो तीन-तीन साल तक का किसानों का बकाया बड़ी मुश्किल से पूरा किया गया। मान्यवर, यह जो चीनी विकास निधि बनाई है, इसमें कुछ प्रावधान यह कर दे कि बैंकों से चीनी मिल मालिक अपनी फैक्टरी की हालत सुधारने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए तथा और भी कई मदों के लिए भी लोन ले सकते हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह सुझाव है कि जिस लोन पर ब्याज पर चीनी विकास निधि से हम मदद करेंगे, उससे केवल गन्ना किसानों के भुगतान के लिए ही लोन लिया जाए और अन्य किसी भी लोन के लिए हम इस निधि का उपयोग नहीं होने देंगे। एक तो यह सुनिश्चित किया जाए।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गन्ना किसान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हम केवल फैक्ट्री मालिकों पर ही आधारित न रहें और उन्हीं पर निर्भर न रहें। गन्ना किसान बहुत मुसीबत में हैं। पहले उसका गन्ना फैक्ट्री में पड़ जाए, लेकिन फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि जिस समय गन्ने का पीक सीजन होता है, उस समय वह अपनी फैक्ट्री को कुछ धीमा कर देते हैं। वे जो बाहर से गन्ना खरीदते हैं उसकी तो पिराई होती है, लेकिन किसान अपना गन्ना लेकर लाइन में खड़ा रहता है और बाद में मजबूर होकर किसान को जो क्रशर लगे हुए हैं, प्राइवेट कोल्हू लगे हुए हैं, उन पर वह अपना गन्ना 40 या 45 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हो जाता है। मान्यवर, एक तो यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान का गन्ना पड़ेगा और समय से पड़ेगा और उसका भुगतान भी समय से हो जाएगा, तभी किसान को कुछ फायदा हो सकता

है। इसमें एक किसान निधि बनाई जाए और अगर किसान अपना गन्ना फैक्ट्री पर डाल देता है और उसके हाथ में जो परची आती है तो वह उस परची के आधार पर उस बैंक से लोन ले सकता है और पर्ची से लिए गए लोन पर एक भी पैसे का ब्याज उस पर नहीं पड़ेगा और वह बैंक सीधे-सीधे फैक्ट्री से उसका भुगतान ले लेगी, तो मैं समझता हूं कि इससे किसान को अच्छी राहत मिल सकेगी। मान्यवर, किसानों की और भी बहुत समस्याएं हैं। इस समय उन्हें खास तौर पर प्रोत्साहन देने की बात है। आपका जो मूल्य निर्धारण हो रहा है, उसमें भी कई खामियां हैं। कई प्रदेशों में किसानों को गन्ने का *अलग-अलग मूल्य दिया जाता है। मेरा यह सुझाव है कि गन्ना किसान और गन्ने के मूल्य के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई* जाए। पिछली बार उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 130 से 135 रुपए तक मिल रहा था। ये फैक्ट्री के मालिक बहुत पैसे वाले और सोर्सफुल होते हैं, इन लोगों ने अदालत और सरकार का सहारा लेकर, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान को जो पिछली बार कीमत मिल रही थी, इस बार उससे बहुत कम कीमत मिली है। केवल कम कीमत ही नहीं है, बल्कि किसान का गन्ना भी पढ़ नहीं पा रहा है। किसान प्राइवेट क्रेशरों और कोल्हू पर सस्ता और मंदा गन्ना बेचने के लिए मजबूर है। उनकी खाद और पानी का भी पूरा पैसा गन्ने से नहीं निकल पा रहा है। यही कारण है कि इस बार कई जगह से ये सूचनाएं मिली हैं कि किसानों ने अपने गन्ने को जला दिया, उन्होंने गन्ने की होली जलाई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) पीठासीन हुए

अगर किसान इसी तरह से मायूस और परेशान रहा तो उत्तर प्रदेश, खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान गन्ना बोना बंद कर देगा और देश के सामने चीनी का एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आपके माध्यम से हमारा मंत्री जी ने निवेदन है कि *आपने यह जो चीनी विकास निधि बनाई है, मैं इसका स्वागत करता हूं, मगर इसका उपयोग पूरी तरह से* किसानों के विकास के लिए किया जाए, फैक्ट्री की और मदों पर न किया जाए, क्योंकि इससे उन्हें बहुत फायदा हो जाएगा। *वे बहुत चालाक लोग हैं, वे बैंक से लोन ले लेंगे और उस पैसे का उपयोग अपने काम में करेंगे,* उससे बहुत पैसा कमाएंगे और गन्ना किसान को ठेंका दिखा देंगे। गन्ना किसान उनसे वसूल नहीं कर पाएगा, अतः इसमें कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि इसका उपयोग केवल गन्ना किसान के लिए हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. At the same time, I would like to express some of the concerns of the sugarcane farmers. Sir, while presenting the Bill, the hon. Minister pointed out that our production is about 283 lakh tonnes and our consumption is about 190 lakh tonnes. So, there is a good surplus of sugarcane that we can export.

Sir, sugarcane farming and sugar industry together form a very important sector. As many as 45 million sugarcane farmers are directly involved in producing sugarcane. Besides this, there are a good number of agricultural labourers who work in the sugarcane fields. So, we can say that about 25 to 30 crore people are directly dependent on this sector. Sir, if we see it factory-wise, we see that the cooperative sector is running 317 sugarcane factories. The public sector is running 62 factories. And the private sector, purely private sector, is running 203 factories. It means the public sector is very weak in this field. My first concern is this. I would request the hon. Minister to give more stress on the public sector, so that the social aspect of the farming can be encouraged.

Sir, now I come to the amendment. I see here that the hon. Minister has also stated that the amendment is required to meet the pay-offs, which the sugar mill owners have to make to farmers. If this be the fact, I definitely share his concern. But the thing is that I see here that the mill owners are now being relieved completely of the interest on the loans that they take. They are not required to pay interest. And, moreover, we see that the rate of cess has been increased from Rs. 15 per quintal to Rs. 25 per quintal. The increase of cess means the consumers will have to pay this in one way or the other. Now that burden is going to the consumer. The consumer should also be protected because all the consumers are not included in the PDS. A vast majority of consumers are outside the PDS as regards sugar. They have,

again, to pay this amount of cess. I should say that the amendment is an inclination towards the sugar mill owners more than towards the farmers. This set of farmers is being ignored or neglected to some extent. Sir, as far as farmers' benefit is concerned, there is a criterion to determine SMP (Statutory Minimum Price).

First of all, I should say that there are two types of minimum prices in vogue in the country, one by the Central Government and the other by the State Government. The price given by the State Government is called SAP (State Advised Prices). If we go through the data of these prices, we see that in almost all the States, SAP is much higher than the SMP. That means while determining the Statutory Minimum Price, the Central Government is not following the necessary norms. That is why the State is paying more and the Centre is paying less. Why? There is sufficient scope for the SMP to be increased. This is my second concern.

While the SMP is reduced, what is generally thought of is recovery quantity. What is the quantity of sugar that we get out of sugarcane? It is barely nine per cent. The sugar is only nine per cent that we get out of sugarcane. But there are some other valuable by-products which are not taken into consideration while determining the SMP. Sir, I would just give some facts here. Sir, one tonne of sugarcane gives 150 kilogram sugar, 300 kilogram bagasse, 40 kilogram molasses, 30 kilogram pressed mud, 660 kilogram steam, 10 kilogram rectified spirit, 30 kilogram bio-fertilisers and 130 kilowatt power. All this we can have from one tonne sugarcane. But, while determining this...(*Time-bell*)... Sir, I will take 3-4 more minutes. I was a Member of the Standing Committee. That is why, I am to express my concerns. So, while determining the SMP, only the realisation of sugar is brought into account, not the other factors. There are so many other factors which are coming out of sugarcane. So, the value of the sugarcane is not actually determined. The value of the sugarcane is much more than what is now practically being determined by the hon. Minister. So, why should the mill-owners not be encouraged to go in for bagasse generation of power, generation of power from bagasse, or to steam because 660 kilogram is produced from one quintal sugarcane? If these diversions are also taken into calculation, then, SMP can be raised substantially. Sir, the farmers need to take keen interest, but, at present, the farmers are not taking keen interest. Sir, I would like to put forward some of the points that have come in the 18th Report of the Standing Committee.

Sir, firstly, the Standing Committee has given instructions to make payments to farmers within 14 days of the supply of sugarcane. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether sugar mills are abiding by these instructions. I know that for months, the farmers have to wait for payment. There is a clear instruction from the Government saying that within 14 days of the supply of sugarcane, the payment must be made. So, I would like to know how many mill-owners have been asked to state the reason or how many show cause notices have been issued to the mill-owners who did not abide by these instructions.

Secondly, Sir, the policy of liberalisation is also a factor responsible for the difficulties being faced by the farmers. These sugarcane owners are expected to take all the sugarcane that is produced in the area of the mill. It is almost mandatory. But, what happens is, due to liberalisation, raw sugar comes and white sugar is produced out of the raw sugar and it is exported. Many mill-owners are engaged in importing raw sugar and exporting white sugar. They are not going to the farmers. Most of them are not going to the farmers, as they should. That is why, the farmers are being neglected. Mill-owners are engaged in this rotating system

of importing raw sugar and exporting white sugar. So, farmers' interests are being neglected. So, I want the hon. Minister to clarify this point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am concluding. The mill owners do not utilise the loans received from the Sugar Development Fund for the purpose for which the loans were granted. It has come in the report of the Department-related Parliamentary Standing Committee also that under-spending of the loan taken by the mill owners is a great problem. More than 50 per cent of the amount of loan remains unspent. They do not spend the loan for the purpose for which they have taken it. So, that has to be taken care of so that this type of diversion of fund is not resorted to by the mill owners...*(Interruptions)*... The Fund is being spent for some other purpose and not for the purpose for which it was granted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Matilal Sarkar, you have already taken 5 minutes more than your time.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I will take two minutes more. The last point that I will have to illustrate is about the PDS. Sir, with regard to the Public Distribution System, in the North-Eastern region, the State of Jammu and Kashmir and the State of Himachal Pradesh, only the PDS is in vogue, and in other States, only the BPL families are enjoying the PDS. But we are having surplus sugar. Why don't we feed our own people? So, I would like to say that the Government should universalise the distribution of sugar all over the country because our country is the largest consumer of sugar in the world. If the per capita consumption of sugar is taken into consideration, we are not in the forefront. We are lagging behind America and the East European countries. But we could consume more and more sugar. So, my point is that the distribution of sugar through the fair price shops should be universalised irrespective of the rich and the poor so that the consumers get the benefit of sugar that is produced by our farmers. The farmers' interest as well as the interest of the sugar mills will go hand in hand. It is not that the mill owners will get the benefit and the farmers will not get that benefit. That should not be there. Farmers' interest should get priority. Thank you.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. The Sugar Development Fund Act, 1982 was enacted to provide for financing the activities for development of sugar industries. The existing provisions which have been realised by the Government, which do not specifically provide for payment of interest subvention from the Sugar Development Fund on loans, given to sugar factories by banks or financial institutions, and I think, that this has led to the Government for bringing in an Ordinance, the Sugar Development Fund (Amendment) Ordinance, 2008, and that is now being replaced by this Bill. The interest which the Government seems to be having on the factories, I think, should be wisely construed as the interest on the consumers and the agriculturists who produce sugarcane. In December 2007, Sir, to provide loans for sugar factories from banks, on the basis of excise duty paid and payable in 2006-07 and 2007-08 sugar season on production of sugar with full interest subvention up to a maximum of 12 per cent per annum, which my colleague, Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan, pointed out, out of which 5 per cent of the interest subvention would be provided through the budgetary support from the Central Government and the rest 7 per cent from the Sugar Development Fund, to utilise the loan proceeds for payment of sugarcane arrears of 2006-07 and sugarcane dues of 2007-08. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this obligation on the part of the sugar

factories has been adhered to. The Minister, in his statement, said that the main purpose of extending loans to the factories is to clear the arrears of the agriculturists. I want to know whether the sugar factories have made the payment of excise duties fully well. We should also accept, Sir, that the production of sugarcane and sugar, subsequently, has increased. And the situation in the country is to be well appreciated. Whether there are any factories which have suffered losses due to any reason, I would like to know from the hon. Minister. There could not be any obvious evidence across the country since the situation has very much changed. And now, it has been estimated that since the main source of funds for the Sugar Development Fund is by way of collection of cess on sugar, there will not be sufficient funds in the Sugar Development Fund to meet the expected expenditure on account of interest subvention. So, the Government has decided to increase the cess from the present rate of rupees fifteen per quintal of sugar to rupees twenty-five per quintal. Sir, naturally, this increase in the cess will automatically be transferred to the consumer. I am much worried about that. Basically, the question which I raised earlier was whether the obligation has been responded or adhered to by the sugar factories. The reason is that the sugarcane crop growers, presuming it as a cash crop, are suffering the worst in the country. The loans which they have received from the banks or through the factories, have been deducted as soon as the crops are cut. But, at the same time, the arrears due to agriculturists are not paid duly. So, the concern of the Government, I feel, should be more for the crop growers, that too, for the agriculturists who are the backbone of this country.

And, lastly, Sir, the consumers are a basic source of revenue to the economy of this country. I would like to know two things from the Minister. One is, whether the Government, after having provided the financial assistance to the factories, has got a mechanism to monitor the process of providing loans; whether the funds which have been extended to the factories are utilised in the right manner or in the manner they should have been. And the second is, the Loan Waiver Scheme which is much applauded by the whole country and which was announced by the Finance Minister in his Budget to the tune of Rs. 60,000 crores may not be of full use to the sugarcane growers for the sugarcane cutting time extends the deadline which has been prescribed ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. Siva, please conclude.

SHRI TIRUCHI SIVA: I am concluding, Sir. That is on 31st March, 2007. The Minister should take all this into consideration since he is having a great concern for the agriculturists of this country. There is no specification; there is only generalisation given in the Bill for factories whether the private factories are also getting assistance from the Sugar Development Fund, I would like to know from the hon. Minister. As pointed out by many colleagues of mine, and also by comrades, there are more private sugar factories in the country, and there are more sugarcane growers. I want to know whether they will also get the cash arrears which are due to them. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Mr. C. Perumal. You have got only five minutes.

SHRI C. PERUMAL: More than enough, Sir!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): Thank you.

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): I thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Sugar Development (Amendment)

Bill, 2008. Sir, through this Bill the Government proposes to provide financial assistance to the sugar factories from the Sugar Development Fund and to utilise the same for payment of sugarcane arrears of 2006-07 and sugarcane dues of 2007-08 sugar season to the cane-growers. I would like to put forward some of my views on this Bill.

In Tamil Nadu, sugarcane is being cultivated in more than 3.22 lakh hectares of land. More than 3.5 lakh agriculturists and five lakh agricultural labourers are depending on sugarcane. To harvest one tonne sugarcane, the labourers are demanding Rs. 500 and the total expenditure incurred by the farmers for growing one tonne sugarcane is more than Rs. 1,500. But the MSP fixed for sugarcane by the Government is only Rs. 1,040—1,200. The agriculturists are facing a huge loss. Now, the agriculturists are demanding Rs. 1,500 as MSP for sugarcane. I request the Government, through this House, to consider this proposal.

Puducherry is providing 90 per cent subsidy to the agriculturists involved in sugarcane cultivation for drip irrigation. The same is the case in Andhra Pradesh. But in Tamil Nadu it is only 50 per cent. I request the Government to increase the subsidy for drip irrigation to sugarcane growers in Tamil Nadu equal to that of Puducherry.

There are no proper godown facilities to stock their produces in the sugar factories. The agriculturists are facing huge losses due to lack of storage facilities. The Government should come forward to construct more godowns to enable the sugar factories to stock the produces of the poor agriculturists.

In Tamil Nadu, the Madhuranthagam Co-operative Sugar Mill, Mathura Sugar Mill and one private sugar mill in Thiruvannamalai are closed due to lack of funds. Due to the closure of these sugar mills the cane-growers are facing a huge problem to market their products and the private mills are exploiting the situation by giving lower prices for them. The Government should come forward to prevent cane-growers being exploited by private sugar mills. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. When the previous speaker was speaking you allotted him five minutes and I tried to raise a question: What was the big hurry? The concern behind this is that it was at 12.05 p.m. today that we were informed by the Secretary-General that this Bill had been passed by the Lok Sabha, and it was also mentioned that the Speaker had certified it as a Money Bill. I find that, within an hour or so, the Minister of Agriculture present here and presenting the Bill for consideration and return. The question that I asked was: What is the big hurry? The Ordinance was passed on 5th February, 2008. When we had a meeting of the leaders and whips of various parties at the beginning of the Session, it was not mentioned that this Bill was going to come up for consideration. It is only at 12.00 O'clock today that we were told about it.

My concern is that every time when the question of sugar industry comes up, rather than examining in detail the various ills and diseases that this industry is suffering from, the matter is handled in such a way that the House is pressed in a hurry to approve some kind of an *ad hoc* decision which is very difficult to approve. Now, whether I oppose the Bill or support the Bill, I am told that it has to be returned and it would go. I would have really liked

it, even though the Standing Committee has examined it, if this Bill once again goes to a Select Committee.

Sir, the Ordinance was approved by the President on 5th February, 2008 and possibly, within a day or two, two months will be completed. Therefore, there is hurry so that the Ordinance does not lapse.

There are some questions which are important. We read the news about sugarcane crop being burnt by the farmers in Uttar Pradesh. Similarly, there is considerable disquiet in Maharashtra, which is the second largest sugarcane producer, where the farmers are worried that they are not getting proper price for the sugarcane. And the Government, at this stage, rather than addressing itself to the concerns of the farmers, the Minister is putting before us a Bill which suggests help to the industry rather than to the sugarcane producer. That is something that rather intrigues me. Sir, the Fund was established in 1982. I would really be interested in knowing how much amount has been used since 1982 because 25 years have passed by, and the sugarcane industry, as it is, in the whole of the country, it has been a sick industry, and it is claimed by the industry that they are unable to pay the farmers even the statutory minimum price that has been fixed by the Central Government. I am sorry to say that people connected with the Government and connected with the ruling parties have stoutly and publicly told in the Press and otherwise that it is impossible for the factories to pay the statutory minimum price to the farmers. If that is the kind of position they are taking, the question is: Is the industry so sick that it cannot pay even the statutory minimum price that has been fixed by the Central Government itself? I have carried out a study on this subject which, fortunately, was published as an Editorial in the Yojana, the periodical of the Planning Commission, and that article brings out very clearly that for a tonne of sugarcane, if we look at the various things that can be produced like sugar, etc., — you have read out the list and you even gave the quantum — and if we really work out the price of various commodities that can be produced from one tonne or one quintal of sugarcane then, the total income derived by the industry is much, much more than what is required to be paid as statutory minimum price. I am making a very serious charge that the entire sugar industry is playing a game. They are hoodwinking the Government and convincing it somehow that the income from one tonne of sugar or one quintal of sugar is not enough to match even the statutory minimum price. If that is so, then, the second question that comes up is: Before proposing some kind of a boost to the industry, are you, at least, ensuring that the amount that should have been paid to the cane producers have been paid? This is something like Rs. 5,700 crores which are required to be paid. The third question that I would like ask is this. A number of committees have been appointed to decide on the liberalisation of the sugar industry. A decision is being postponed all the time, and this is one more caution where the Bill is being pressed in a big hurry, and the House is being forced to take a decision which it would, otherwise, like to avoid. Today, the sugar industry is in a position where we need to take a serious decision on whether sugarcane should continue to be the raw material for producing sugar at all. Sugarcane is a highly water consuming crop, and it would be much better if we shifted to sugar beat, which could give us two to three crops in a year, and the percentage of sugar, as also the percentage of ethanol, is much higher. And since the importance of producing ethanol has become all the more pressing under the present circumstances, the whole question,

which I am putting in a different way, is whether the sugar industry should at all be the main producer of sugar. It should be mainly producing the secondary products which can be produced from molasses and from alcohol, and sugar should become a secondary product. Now, I think if the sugar industry is to survive, it has to make a radical change; make ethanol the main product and make sugar a secondary or a tertiary product. Otherwise, the sugar industry will not survive, and the little dosage of steroid that is given by the Government to this industry would not really permit the industry to survive.

Briefly, I would say that this Bill should not have been pressed in a hurry like this. We were hardly given one hour to prepare, and if we read the language of the Statement of Objects and Reasons, etc., in the Bill, we will have to refer back to the various previous Acts. I would say that the eight previous Acts, under which the sugar industry is controlled should be put together, and the Government, rather than hurrying up and presenting a hurried Bill, should prepare a comprehensive Bill which will cover the sugar industry, as a whole, and not provide small doses every now and then, which do not permit us to take a comprehensive look at the sugar industry. Thank you.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, साथ-साथ मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि आपका उद्देश्य पवित्र है। बिना किसी दुराग्रह के, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पवित्र उद्देश्य को लेकर आप जो विधेयक लाए हैं, क्या इसका क्रियान्वयन हो पाएगा? इसकी स्क्रीनिंग के लिए आपको कोई कमेटी बनाने का काम करना चाहिए। जब भी हमने देखा है, तो केन्द्र सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि गन्ने का मूल्य के भुगतान का मामला, किसान का मामला स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। आप छूट दे रहे हैं। मान्यवर, कुछ परंपरा सी चल गई है, अखबार में पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि देश के दस उद्योगपति पहले पचास-सौ लोगों में आते हैं, परंतु कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि यह अखबार में प्रकाशित हुआ हो कि हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या सबसे कम रह गई है। आज उद्योगपति पॉलिसी खरीद रहे हैं और शक्कर लॉबी सबसे ज्यादा हावी है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिस दिन चीनी मिलों की स्थापना हुई थी, उस दिन केवल गन्ने से शुगर बनती थी, केवल चीनी बनती थी, आज गन्ने से आप शीरा बनाते हैं, शीरे से बीस-पच्चीस प्रकार के chemicals बनते हैं, गन्ने की खोई से बगास बनता है और उसके साथ-साथ उससे बिजली बनती है। और तो और, जो इसका वेस्टेज है इसमें, जिसे प्रेस मड कहते हैं, वह ईंधन जलाने के काम आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सारे भट्टे उसी से चल रहे है। आप जानते हैं कि यह 55 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। खोई 150 रुपए क्विंटल तक पेपर मिल को जा रही है। मैंने जो बदमाश बनाने की बात कही, वह इसलिए कही है कि शुगर मिल मालिक स्थानीय बदमाशों को बगास और प्रेस मड देकर, उनको 18,20 और 25 रुपए क्विंटल पर दे देते हैं और उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं कि स्थानीय किसानों को डांटने-डपटने का और नेताओं को धमकाने का काम करते रहें। अगर आप देखें, तो गैंग वार हो रहा है, इस मामले को लेकर। इस मामले को लेकर आयकर की भी चोरी रहती है और आपको फर्जी बैलेंस शीट बताकर नुकसान दिखा देते हैं।

मान्यवर, आपने किसानों को राहत देने का काम किया है। मैं आपसे विनम्रता से एक अनुरोध करना चाहता हूं। पिछले दस साल में जितने पैकेज चीनी मिल मालिकों को दिए गए है, क्या मिल मालिकों की उतनी परिसम्पत्ति है? आज अभी अगर मिल मालिक चीनी मिल लगाना नहीं चाहता, तो कौन सी बाध्यता है कि वह चीनी मिल लगाए? सत्य यह है कि गन्ना किसान का गन्ना लेकर, चीनी बेचकर वे भुगतान अपनी जेब में रख

लेते हैं और दो-दो सैशन तक ... आदरणीय मोती लाल जी कह रहे थे कि दो-दो महीने इंतज़ार करते हैं, पिछले साल का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया। हमारे यहां बजाज इंडस्ट्रीज़ है, मेरे जिले में 13 शुगर इंडस्ट्रीज़ में गन्ना जाता है, 10 से 12 लाख क्विंटल गन्ना per day हमारे किसानों का, शुगर मिलें खरीदती हैं। केवल इसलिए गन्ना मूल्य भुगतान रोक लिया कि सरकार फिर पैकेज देगी, सरकार किसान के नाम पर पैकेज देगी। जब मैं पहली बार एम॰एल॰ए॰ बना, तो मेरे क्षेत्र में चार शुगर मिलें पड़ती थीं, जो हर साल दस-दस लाख रुपए परिक्षेत्र विकास में दिया करती थीं, अब एक भी पैसा परिक्षेत्र विकास में कोई शुगर मिल नहीं देती। मिल मालिक किसानों के स्कूलों में पैसा देते थे, क्रीड़ा, प्रतियोगिता कराते थे, उसमें पैसा देते थे, आज वह सब बंद है। जब दूसरे उद्योगपति सरकारों को लूट रहे हैं, तो आज मिल मालिकों ने भी यह सोच लिया कि चीनी मिल मालिक यह पैसा इधर खींच लें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री जी, मंत्री छोटा होता है, नेता बड़ा होता है। नेता रोज़ मंत्री और एम॰एल॰ए॰, एम॰पी॰ बनाते हैं और आप नेता हो। आप में साहस है, आप में क्षमता है, आप इस काम को कर सकते हो। ज़रा सा, इस मुल्क में जितनी कोऑपरेटिव की शुगर फैक्टरीज़ हैं और गवर्नमेंट ओरिएंटेड शुगर फैक्टरीज़ हैं, उनकी उत्पादन लागत और जो प्राइवेट शुगर मिलें हैं, उनकी उत्पादन लागत का एक comparative chart बनाकर दिखवा लीजिएगा और फिर खामी पर हाथ रखिए। हम सहकारी चीनी मिलों को बीमार करके, वहां का जो संचालन मंडल है, वह पैसा निकाल कर उसके बाद हम उन्हें सहायता देना चाहते हैं, पर सहायता बड़े उद्योगपतियों को जा रही है। आपका उद्देश्य पवित्र है लेकिन यह पवित्रता जमीन तक नहीं पहुंचेगी। मान्यवर, जिस क्षेत्र में चीनी मिल लगी है, आपका केन्द्रीय गन्ना क्रय अधिनियम है, यह व्यवस्था है कि 14 दिन के बाद अगर गन्ने के मूल्य का भुगतान होगा तो उस पर ब्याज दिया जाएगा, किन्तु ब्याज नहीं मिलता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चीनी मिल मालिकों को इस संबंध में निर्देश जारी करें। किसान जब गन्ना समिति से, जिसमें उसी का पैसा अफसोस की बात यह है कि उससे प्रति क्विंटल जो पचास पैसा कटता है, वही पैसा वहां इकट्ठा होता है, गन्ना किसान से उसका एक घंटे का ब्याज लिया जाता है। महोदय, मैं एमएलए था, चेयर पर आदरणीय धनीराम वर्मा जी बैठते थे। उन्होंने एक बार हमें बुलाकर कहा कि अगर आपने एक परसेंट ब्याज कम करा लिया तो आपका एमएलए होना फायदेमंद होगा। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि अब किसानों पर जो ब्याज है, वह कम हुआ है। मान्यवर, एक काम करके आप मील का पत्थर साबित कर दें कि एक सुनिश्चितता करें कि जिस क्षेत्र में मिल होगी, गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर भुगतान होगा, वरना उस पर ब्याज दिया जाएगा। जिस गन्ना किसान ने अपने गन्ने को मिल में आपूर्ति कर दी, उस मिल की ओवरड्राफ्ट लिमिट होनी चाहिए। वह संबंधित बैंक में जाता है बहुत अच्छे से उसे बेवकूफ बनाया जाता है। मेरी या आपकी तनख्वाह का भुगतान बैंक से होता है और निश्चित समय पर मेरे खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। गन्ना किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान बैंक के द्वारा किया, पर उसमें एक रोड़ा अटका दिया कि मिल मालिक सोसायटी को पैसा भेजेगा, फिर सोसायटी जाकर बैंक को भेजेगी। बैंक देखता है कि क्लोजिंग आ रही है तो 15 दिन के लिए किसान को रोक लो। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विसंगति को दूर करने का आप काम करें। महोदय, मैं एक बार माननीय मंत्री जी के चैंबर में उनसे मिला। आपके मन में किसानों का दर्द है। आपने कहा कि ब्राजील की तरह अगर हमारे मिल-मालिक भी ethanol बनाने का काम करें, दस पंद्रह लाख की मशीनरी इसमें लगती हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, जिससे सीधा ethanol बन सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चीनी मिलों पर यह बाध्यता लगायी जाए कि वे ethanol बनाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह): हरेन्द्र जी, अब समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: महोदय केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। मेरा आपके माध्यम से शक्कर विकास निधि के संबंध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दस परसेंट रिकवरी है,

2-00 P.M.

नौ से साढ़े दस परसेंट रिकवरी है, महाराष्ट्र में 13 से साढ़े 13 परसेंट रिकवरी है। ब्राजील में क्या रिकवरी है? क्या नयी प्रजाति विकास के लिए शुगर मिल कोई काम कर रहो है? इस शक्कर विकास निधि से न तो हमारी प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ पा रही है और न ही प्रति क्विंटल चीनी की रिकवरी बढ़ पा रही है। बेसिक बात करायी जाए, यह काम किया जाए ताकि यह रिकवरी हो सके। मान्यवर, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि हमारी जो सरकारी और सहकारी चीनी मिलें हैं, उनको भी आप देखने का काम करें। मैंने पहले भी सह उत्पादकता के बारे में कहा था। आज सत्यता यह है कि बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स की सेवा लेकर चीनी मिलें केवल नुकसान की बैलेंस शीटें बना रही हैं। इनके इतने सह उत्पादक हैं कि सत्यता यह है कि आज चीनी स्वयं सह-उत्पादक बन गयी है। आप बिजली पैदा करें, बगास बेच रहे हैं, प्रेसमड बेच रहे हैं, मोलैसिस बेच रहे हैं, मौलेसिस से केमिकल बना रहे हैं, आप हार्ड बोर्ड बना रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप बिल में अमेंडमेंड लाए हैं, आपका पवित्र उद्देश्य पवित्र रह सके। चीनी मिल बड़ी ताकतवर लॉबी है। एक बार में फूड एंड सिविल सप्लाई कमेटी में था। आप ही के महाराष्ट्र के मिल के एमडी आए, कमिश्नर आए। बड़ी लम्बी बहस वहां हुई। हमने बाहर निकलकर उत्पादक लागत पूछ ली। महोदय, शुगर की इतनी तगड़ी लॉबी है, आप ही की स्टेट में पिछले दिनों हजार की संख्या लगाकर ...(व्यवधान)... अगले साल मैं उस कमेटी में ही नहीं रहा मैं पुन: माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए, इन्हें यह अहसास कराते हुए इनसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप नेता हैं, नेता निर्णय लिया करते हैं एक निर्णय ले लीजिए। चीनी मिल मालिकों को जो किसान के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, सत्यता यह है कि वह एक छलावा है। इसलिए किसानों का भला हो, ऐसा काम आप करिए। आपकी क्षमता और आपकी काबलियत किसानों के काम आएगी। धन्यवाद।

श्री शरद पवार: महोदय, इस सदन में एक छोटा सा संशोधन आया है। चूंकि संशोधन छोटा है, किन्तु आज देश के किसानों और खासतौर से गन्ना पैदा वाले किसानों की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें कोई न कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है, जिससे किसानों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए और साथ-साथ चीनी मिलें भी चलनी चाहिए। जहां कहीं लूट हो रही है, तो उसको किस तरह से रोक सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में पिछले कई सालों का हमारा यह अनुभव है कि चीनी उद्योग ऐसा है जो साइकल पर चलता है। जैसे पांच साल की जो कालावधि पड़ी, तो इसमें पहले दो साल तो गन्ने को और चीनी को बहुत अच्छी कीमत मिलती है। तीसरे साल कीमत कम होने की प्रक्रिया शुरू होती है तथा चौथे और पांचवें साल किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। इसका असर केवल किसानों पर ही नहीं होता, चीनी उद्योग पर भी इसका असर होता है। जब कीमत अच्छी मिलती है तो उस समय किसानों का पूरा ध्यान इस तरफ होता है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र गन्ने पर कैसे ला सकें। जब चीनी और गन्ने की कीमत कम होती है, तो किसानों का ध्यान गन्ने का क्षेत्र कम करके अन्य दूसरी फसल के विकल्प पर भी जाता है। यह संकल्प पिछले कई सालों से चालू है और इसलिए कभी अच्छी स्थिति आती है और कभी खराब परिस्थिति आती है। मुझे याद है जब एनडीए की हुकूमत थी। तो दो साल गन्ना किसानों को ठीक तरह से कीमत मिली थी। जबर्दस्त उत्पादन बढ़ गया, चीनी की कीमत कम हो गई, इससे गन्ना किसानों को कीमत कम मिल रही थी। ऐसी परिस्थिति में गन्ना किसानों को सही कीमत देने के लिए कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। मुझे याद है कि प्रतिपक्ष के नेता उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके पास जाकर हम लोगों ने कोई रास्ता निकालने की बात की थी और उन्होंने इसमें सहयोग भी दिया था। मगर बार-बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि देश की जरूरत क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में हम कहां तक चीनी बेच सकते हैं और इसलिए हमें गन्ने की फसल कितनी लेने की आवश्यकता है, इस पर कोई पाबंदी आज कोई भी सरकार या हुकूमत नहीं लगा सकती है। अपने देश में किसानों को यह आजादी है कि उनको कौन सी फसल लेनी है। इसलिए कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि सरकार उसको नजर-अंदाज नहीं कर सकती और सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ता है, चाहे वह राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। यह एक अलग उद्योग है। एक जमाने में हिन्दुस्तान में टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्री सबसे ज्यादा लोगों को

रोजगार देने वाली इण्डस्ट्री थी। चीनी उद्योग एक अलग किस्म का उद्योग है, कम से कम टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्री देश के बड़े-बड़े शहरों में थी, चाहे मुम्बई हो या कानपुर हो, मगर चीनी उद्योग देश के ग्रामीण हिस्सों में है और इसने गांव में रहने वाले लोगों को रोजी देने का काम किया है। साथ-साथ इस पर ध्यान देने वाला भी यह उद्योग है कि किसानों को दो पैसे देने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अगर मार्केट कंडीशन ठीक हो। मैं यह मानता हूं कि यहां जो शिकायतें थीं कि देश में कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो अपनी मिल चलाते हैं, पैसे भी कमाते हैं मगर किसानों का भुगतान करने की जिम्मेदारी जो उनके ऊपर है वे उसे निभाते नहीं हैं। इसलिए कई जगहों से ऐसी शिकायतें भी आती हैं। एक जमाने में हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाले राज्य थे। आज भी देश में उत्तर प्रदेश एक नम्बर का राज्य है। देश के सभी हिस्सों में चीनी उद्योग हैं और गन्ने की फसल पैदा होती है। यह कोई 14,15,16 राज्यों में पैदा होती है। मगर एक बात सच है कि आज हिन्दुस्तान दुनिया में चीनी उत्पादन में दो नम्बर पर पहुंचा है। हमसे ज्यादा चीनी ब्राजील पैदा करता है। ब्राजील की स्थिति में और हिन्दुस्तान की स्थिति में फर्क है। इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाते हैं, तब हमें ब्राजील से सामना करना मुश्किल होता है एक तो वहां जमीन ज्यादा है, किसानों का गन्ने का क्षेत्र ज्यादा है, पानी की कोई समस्या नहीं है और लागत खर्च कम आता है। इस परिस्थिति में भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है कि यहां पर 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनका क्षेत्र एक एकड़ के अंदर है और इसमें छोटे किसान बड़े पैमाने पर हैं। पिछले दो साल के मुकाबले, इस साल क्या हुआ है, देश में 190 लाख टन चीनी हर साल लगती है, हम लोगों ने, इस देश के किसानों ने, इतने बड़े पैमाने पर गन्ना लगाया कि उत्पादन 240 लाख टन से 260 लाख टन के आसपास पहुंच गया। इससे पहले इतनी चीनी देश के स्टॉक में नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर यहां चीनी की पैदावार होने पर, यहां की तो कीमत खत्म ही हो गई, नीचे आ गई। यह 400 से 600 रुपए टन कीमत कम आ गई। इसका असर दुनिया की मार्केट पर भी हुआ। हिन्दुस्तान एक ऐसा अजीब देश है, जब हम खाद्य विभाग के लिए इन्टरनैशनल मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुनिया का मार्केट ऊपर जाता है। जब हम भारत से अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कोई चीज बेचने के लिए जाते हैं, तो हमारी Quantity इतनी होती है कि इसका असर इन्टरनैशनल मार्केट पर भी बुरा होता है। वैसी ही स्थिति इस साल चीनी की हो गई और साथ ही साथ ब्राजील में ज्यादा चीनी पैदा हुई, थाईलैंड में ज्यादा चीनी पैदा हुई, साउथ अफ्रीका में ज्यादा चीनी पैदा हुई और भारत में चीनी ज्यादा पैदा हुई इसलिए इसकी कीमत बहुत नीचे आ गई और वह यहां तक नीचे आ गई कि किसानों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा था। भारत सरकार ने जो Statutory minimum price तय किया था, तो देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जो अपनी कीमत तय करते हैं, State Advisory Price. देश के सभी राज्यों में यह स्थिति नहीं है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उत्तरांचल में है इन राज्यों ने अपने-अपने कानून बनाए हैं। इससे एक स्थिति पैदा होती है कि देश के 80 प्रतिशत राज्यों में एक कीमत जो भारत सरकार ने तय की है और कुछ राज्यों में State Advisory Price. तैयार किए हैं। वह जो उन्होंने कानून बनाया है और भारत सरकार ने जो कीमत दी है, इससे ज्यादा वहां कीमत दी जाती है खासतौर पर यह साल कौन सा है, यह इस पर निर्भर रहता है। चुनाव का साल हो तो इसकी लागत, खर्चा क्या है, इस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया जाता। चुनाव को मद्देनजर रखकर कीमत तय होती है इसका असर टोटली उद्योग पर जिस तरह से होता है, इस पर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब चीनी की कीमतें इतनी कम हो गई, तब तीसरे साल ऐसे परिस्थिति पैदा हो गई कि कीमत देना मुश्किल हो गया और साथ ही साथ खासतौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलें अपना उत्पादन भी शुरू नहीं कर सकती थीं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी सदस्य जानते हैं कि जहां गन्ने की पैदावार होती है, यदि उसकी कटाई समय पर नहीं हुई, तो उसका बुरा असर, जो हम दूसरी गेहूं की फसल की लेते हैं, उसके ऊपर बहुत पड़ता है। इसलिए चीनी मिलें जल्दी चालू करने की आवश्यकता होती है, जिससे गन्ने की कटाई हो जाए ताकि जो क्षेत्र खाली होगा, उसका उपयोग किसान दूसरी फसल के लिए करे। यह एक संकट पैदा हो गया। दूसरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन दो राज्यों में चीनी मिलें हमेशा

अप्रैल एंड तक चलती हैं, पिछले साल वे जून महीने तक चलीं, फिर भी वे गन्ने को पूरी तरह से क्रश नहीं कर सके, इसलिए वहां की सरकार को गन्ना किसानों की कुछ मदद करनी पड़ी। महाराष्ट्र स्टेट ने पच्चीस हजार रुपए पर हेक्टेयर के नुकसान पर गन्ना किसानों को दिया और वही स्थिति कर्नाटक की सरकार ने भी की। एक बड़ा बोझ सरकारों पर आ गया, क्योंकि गन्ना किसानों को बचाना है। जो परिस्थिति ज्यादा उत्पादन से पैदा हुई, इसे हमने नजरअंदाज नहीं किया। भारत सरकार ने कई कदम उठाए। आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा बफर स्टाक कभी नहीं किया था। पचास लाख टन का बफर स्टाक किया। पचास लाख टन बफर स्टाक करने के बाद इसके इंट्रस्ट और फ्लोटिंग चार्जेस की जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाई। इसके लिए हमने शुगर डेवलपमेंट फंड से पैसे दिए। हम यहां तक सीमित नहीं रहे। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्किट में किस तरह से जा सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या सहायता देने की आवश्यकता है, वह सहायता देने के लिए भी कुछ कदम उठाएं। यहां कलराज जी ने एक बात बताई कि एक्सपोर्ट होता है, मगर इस एक्सपोर्ट का लाभ सागर किनारे जो राज्य हैं, उनको ज्यादा मिलता है और दूर वाले राज्यों को नुकसान होता है, यह बात सच है। मगर जब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने की बात आ गई तो भारत सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया कि जो राज्य पोर्ट के नजदीक हैं उनको 1340 रुपए पर क्विंटल सब्सिडी दी जाए और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जो सागर के किनारे से दूर है, वहां 1440 रुपए पर क्विंटल, सौ रुपए ज्यादा सब्सिडी देने का कदम उठाया। इस तरह से पेमेंट राज्यों को दी गई। हमें उम्मीद है कि इससे तीस लाख टन के आसपास चीनी जाएगी। जो सुविधा दी है, वह अगले अक्तूबर तक देने की तैयारी भारत सरकार ने की है। हो सकता है कि इससे और ज्यादा चीनी जाएगी। आज इंटरनेशनल मार्किट पिछले हफ्ते से फिर नीचे आ गई है। हमें मालूम नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में किस हद तक कामयाब होंगे, मगर चीनी जितनी जा सकती है, उतनी देश से बाहर भेजने की कोशिश की है। इतना सब करने के बाद जब चीनी मिलों की पैसा देने की स्थिति पैदा नहीं हुई और बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तब एक रास्ता और निकाला कि भारत सरकार जो एक्साइज का पैसा कलेक्ट करती है, वह पिछले साल का टोटल उत्पादन, इस बार आने वाले एक्साइज का उत्पादन और इस साल पैदा होने वाली चीनी पर आने वाला एक्साइज का उत्पादन सामने रखकर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि देश के सभी बैंकों को एक सूचना दी जाए कि एक्साइज की जितनी रकम है, वहां तक की रकम चीनी मिल को देनी चाहिए।

श्री उपसभापति पीठासीन हुए.

यह देने के लिए बैलेंस शीट ठीक नहीं थी वह ठीक करने के लिए इंट्रस्ट सब्वेंशन का कोई कदम उठा सकते हैं, इससे रास्ता निकल सकता था, इसके लिए पांच प्रतिशत इंट्रस्ट सब्वेंशन और सात प्रतिशत इंट्रस्ट सब्वेंशन भारत सरकार ने बजटरी सपोर्ट शुगर डेवलपमेंट फंड से देने की सुविधा इसमें की है। शुगर डेवलपमेंट फंड से यह पैसा केवल गन्ने की कीमत देने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बंधन है। उन्होंने जो पैसा लिया है, उसकी फर्स्ट इंस्टालमेंट लेने के बाद इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गन्ना किसानों के गन्ने की कीमत देने के लिए ही उन्होंने इस्तेमाल किया है, तब ही उन्हें दूसरी इंस्टालमेंट और बाकी पैसे मिलेंगे, इस पर हमने सख्त ध्यान दिया है। यह पैसा सिर्फ किसानों को जो भुगतान करना है, इसके लिए ही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।

हमारे पास एक सुझाव आया है कि जैसे हम किसानों के हितों की रक्षा करते हैं, वैसे ही चीनी मिल में काम करने वाले जो मजदूर हैं, कई चीनी मिलों में इनको साल-साल, छः-छः महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, अगर इनके बारे में भी कुछ कर सकते हैं, तो सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी।

यहां एक सवाल पूछा गया कि इस शुगर डेवलपमेंट फंड से आप क्या करते हैं, आपने पैसा कहां दिया। शुगर डेवलपमेंट फंड 1982 से तैयार हुआ। इसमें इस सदन में कई बार संशोधन हुए। इसका हेतु यह था, जो यहां बताया गया कि गन्ने की क्वालिटी बदलनी चाहिए, इसमें चीनी की परसेंटेज सुधारनी चाहिए, रिकवरी सुधारनी चाहिए और इसमें हम नई-नई वैरायटीज़ किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। यह काम केवल वैरायटी डेवलप करके नहीं होगा, किसानों को गन्ना लगाने के लिए जिस सुविधा की आवश्यकता है, इसके लिए भी, शुगरकेन डेवलपमेंट के लिए हम मदद कर सकते हैं। आज तक इससे जो पैसे दिए गए, इनमें से शुगरकेन डेवलपमेंट के लिए 529 करोड़ रुपए पूरे देश में दिए गए। हिन्दुस्तान की चीनी मिल बहुत पुरानी है और खास कर उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में कई सालों से पुरानी चीनी मिलें हैं। टेक्नोलॉजी बदली, improvisation आ गया, इसका लाभ नहीं दे रहे थे और इसलिए मॉडर्नाजेशन की आवश्यकता थी। इसलिए आज तक मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 1,572 करोड़ रुपए इस शुगर डेवलपमेंट फंड से दे दिए गए।

यहां यह बात कही गई कि बाई-प्रॉडक्ट्स पर भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी-अभी हम इस co-generation से बिजली तैयार कर सकते हैं, यह बात साबित हुई। इसलिए अभी ही शुरूआत हुई है और आज तक चीनी मिलों को बिजली तैयार करने के लिए 350 करोड़ रुपए के आस-पास रकम लोन के रूप में, कर्ज के रूप में दी गई है। इथेनॉल का काम पिछले साल से ही शुरू हुआ। इथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए 832 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इथेनॉल के और co-generation से मॉडर्नाजेशन के और गन्ना सुधार के कई proposals भारत सरकार के पास pending हैं। जैसे ही हमारे पास रकम आएगी, वैसे ही हम इस पर भी ध्यान देने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना ही वादा करना चाहता हूं कि यह जो पैसा आएगा, उसे किसानों के भुगतान करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 14 दिन में किसानों का payment नहीं किया, तो इसका 14 परसेंट इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी मिल मालिकों को आज के ऑर्डर के मुताबिक लेनी पड़ती है। हम लोगों ने सभी कलेक्टरों को एक आदेश दिया है, अधिकार दिया है, राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि यह सब करने के बाद चीनी मिल मालिक अगर किसानों का भुगतान नहीं करते, तो land area के माध्यम से चाहे उनकी shop ज़ब्त कर सकते है, चाहे मशीनरी ज़ब्त कर सकते है, चाहे personal property को अपने हाथ में रख सकते हैं, मगर इसमें किसानों के हितों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। परन्तु इस पर सबसे ज्यादा राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में राज्य सरकार को बुला कर, इनके साथ बात करके इसमें रास्ता निकालने के लिए हमेशा हमारा ध्यान होता है। यह जो संशोधन है, उसे अभी इसलिए किया गया, क्योंकि अगर इसे अभी नहीं करते, तो किसानों की पेमेंट नहीं होती थी, इसलिए यह करने की परिस्थिति आ गई। मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार करेगा और इसका लाभ देश के किसानों को होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill

Clause 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is a suggestion....*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): सर, आप आधे घंटे के लिए हाउस एडजर्न ही कर दीजिए, क्योंकि अभी 2.15 हुए हैं और शायद आपने मंत्री जी को 2.30 बजे आने के लिए कहा था।

श्री उपसभापति: ठीक है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, फिर हम 2.45 पर मिलते हैं और 2.45 पर आगे शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मंत्री जी आ जाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री उपसभापति: ठीक है। राम नारायण साहू जी, आप अपना स्पेशल मेंशन रख दीजिए।

Special Mentions (Contd.)

Concern over Receding Water-Table

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): भारत के अनेक सूखा-ग्रस्त राज्यों में पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है, जिससे शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा शहरों में की जा रही पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बनती जा रही है। शहरों के कुएं पहले ही सूख चुके हैं और कुछ ही समय तक हैंड-पाइप के सहारे जीवन को बचाया जा सकता है। भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर तेजी से घट रहा है। भूजल के जल्दी ही विलुप्त होने की संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है।

जब तक कोई भी समस्या गंभीर रूप न धारण कर ले, तब तक सरकार सक्रिय नहीं होती। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस गंभीर समस्या पर मैं पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम का भी शुभारम्भ काफी पहले किया गया था, जो मात्र दिखावा बन कर रह गई है। समय रहते हुए इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए भारत सरकार को कड़े और सार्थक कदम तत्काल उठाने चाहिएं।

मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों के सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालयों की छतों पर जल-संचयन की व्यवस्था लागू करने के लिए आदेश जारी करने चाहिएं। सभी अधिकारियों के आवासों पर भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस योजना से जनता को जोड़ने के लिए एक प्रोत्साहन अभियान चलाया जाए। पूरे सिस्टम को लगाने के लिए 50% धनराशि सरकार वहन करे और 50% धनराशि के लिए न्यूनतम दर पर बैंक से कर्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। जो गृह-स्वामी जल संचयन व्यवस्था मानक के अनुरूप लगाएं, उन्हें गृह-कर में छूट देने का प्रावधान किया जाए और जो गृह-स्वामी न लगाएं, उनसे गृह-कर अधिक लिया जाए। नये भवन निर्माताओं के नक्शे तभी जारी किए जाएं, जब वह शपथ-पत्र के साथ भवन निर्माण के 6 माह के अंदर जल संचयन व्यवस्था लगाने हेतु सहमति प्रदान करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for half-an-hour to meet at 2.45 p.m.

The House then adjourned at sixteen minutes past two of the clock.

The House reassembled at forty-seven minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Prof. P.J. Kurien) in the Chair.